संख्या:91/2023/180/35-4-2023/001-35-4099/48/2022

प्रेषक,

डॉ0 संजीव भारद्वाज,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
चित्रकूट।

नियोजन अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक: 15 फरवरी,2023

विषय: वित्तीय वर्ष 2022-23 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत स्वीकृत शासनादेश में संशोधन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक नियोजन अनुभाग-4 के शासनादेश संख्या: 72/2023/180/35-4-2023/001-35-4099/48/2022 दिनांक 09 फरवरी, 2023 द्वारा जनपद चित्रकूट में राजकीय आई0टी0आई0 के भवन निर्माण से सम्बन्धित कार्य हेतु चतुर्थ किश्त के रूप में धनराशि अवमुक्त की गयी है। उक्त शासनादेश के पृष्ठांकन के क्रमांक14- को निम्नवत पढ़ा जायेगा:-

14- अधिशासी अभियंता, निर्माण खण्ड ,लोक निर्माण विभाग, चित्रकूट।

2- सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 09 फरवरी, 2023 इस सीमा तक संशोधित समझा जाय। शासनादेश की अन्य शर्तें यथावत रहेंगी।

भवदीय,

(डॉ0 संजीव भारद्वाज)
संयुक्त सचिव।

संख्या:91/2023/180(2)/35-4-2023/001-35-4099/48/2022 तददिनांक
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज।
3- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग।
4- अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त, उ0प्र0शासन।
5- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0 ।
6- निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी।
7- मण्डलायुक्त, चित्रकूटधाम मण्डल।
8- निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उ0प्र0, लखनऊ।
9- प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
10- मुख्य विकास अधिकारी, चित्रकूट।
11-मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, चित्रकूट।
12-वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
13- जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, चित्रकूट।
14- अधिशासी अभियंता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, चित्रकूट।
15- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(डॉ0 संजीव भारद्वाज)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है। अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in